



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष न०- 0135-2662021, फ़ैक्स न०- 0135-2662180

ईमेल : [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) वेब: <http://uic.gov.in>

पत्रांक : 5925

/उ.सू.आ./2021-22 दिनांक : 11 /01/2022

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में दिनांक 19 अक्टूबर 2021 से माननीय आयोग में पूर्ण पीठ गठित न होने के कारण अपीलों/शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो पाया है। वर्तमान में माननीय आयोग में मा.मुख्य सूचना आयुक्त एवं मा. राज्य सूचना आयुक्त महोदय के नियुक्त होने के क्रम में दिनांक 17/01/2022 से दिनांक 21/01/2022 तक के आयोग में अपीलों/शिकायतों की सुनवाई हेतु निम्नवत् तिथि निर्धारित है।

मा० आयोग में योजित द्वितीय अपील/शिकायतों में अपना पक्ष ऑडियो/वीडियो के माध्यम से रखे जाने हेतु कृपया अपना दूरभाष/मो० नम्बर/व्हॉट्सऐप नम्बर आयोग के फ़ैक्स नंबर-0135-2662180, /ई-मेल आई.डी. [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) /व्हॉट्सऐप नंबर 9045379903 अथवा डाक द्वारा उपलब्ध/प्रेषित कर सकते हैं। अपीलकर्ता चाहें तो वे अपने लिखित अभिकथन के आधार पर भी द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु सहमति पत्र सुनवाई से पूर्व आयोग को फ़ैक्स/ई-मेल /व्हॉट्सऐप नंबर अथवा डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। उपरोक्त अपील/शिकायतों की सुनवाई माननीय मुख्य सूचना आयुक्त जी के पीठ में नियत तिथि के अनुसार प्रातः 11:15 बजे से प्रारंभ होगी। आप अपने मोबाइल नम्बर/व्हॉट्सऐप पर उपलब्ध रह सकते हैं।

क्र. सं.	वाद संख्या	अपीलकर्ता का नाम	प्रतिवादी	पूर्व नियत तिथि	परिवर्तित तिथि
1	33024/20	श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट(पूर्व क्षेत्र 0प0स0), ग्राम व पोस्ट देवसारी वाया ग्वालदम(चमोली), पिन-246441	लो.सू.अ./अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नारायण बगड़, जिला चमोली। वि.अ.अ./अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, कर्णप्रयाग, गौचर, जिला चमोली।	11/11/21	24.01.22
2	32104/20	श्री मनमोहन सिंह जैसवाल, फ़ेन्डस ट्रेवल्स बस स्टेण्ड, मैसानिक लॉज, मसूरी, जिला देहरादून।	लो.सू.अ./अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद मसूरी, जिला देहरादून। वि.अ.अ./उप जिलाधिकारी, मसूरी, जिला देहरादून।	12/11/21	25.01.22
3	32551/20	श्री सरदार हरकिशन सिंह, 19 सिंह निवास, तिरंगा इन्क्लेव कैलाशपुर मेहूवाला माफी, देहरादून-248171	लो.सू.अ./अधिशाली अभियन्ता, (अधियन्त्रण एवं लाईट अनुभाग) नगर निगम, देहरादून। वि.अ.अ./सहायकनगर आयुक्त, नगर निगम, जिला देहरादून।	23/11/21	27.01.22

4	अ. 32634/20	श्री दिनेश सिंह कश्यप, आशुलिपिक उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, निकट आई.टी.आई. निरंजनपुर माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून। ई-मेल: dinesh9k7@gmail.com	लो.सू.अ./उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, निकट आई.टी.आई., निरंजनपुर माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून। ई-मेल: registrarpstuk@rediffmail.com वि.अ.अ./उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, निकट, आई.टी.आई. निरंजनपुर माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून। ई-मेल: registrarpstuk@rediffmail.com	29/09/21	28.01.22
---	----------------	---	---	----------	----------

(अरविन्द कुमार पाण्डेय )  
सचिव,

प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव, मा. मुख्य सूचना आयुक्त को, मा. मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव को आयोग की वैबसाईट में अपलोड करने हेतु।
3. निजी स्टॉफ, मा. मुख्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि सम्बन्धित वादी प्रतिवादियों को उपलब्ध दूरभाष नम्बर/ई-मेल के माध्यम से अगली सुनवाई की तिथि से अवगत कराना सुनिश्चित करें। दूरभाष नम्बर ई-मेल उपलब्ध न होने की स्थिति में डाक के माध्यम से उक्त पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।

( अरविन्द कुमार पाण्डेय )  
सचिव



## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष न०- 0135-2662021, फ़ैक्स न०- 0135-2662180

ईमेल : [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) वैब : <http://uic.gov.in>

पत्रांक : 5967

/उ.सू.आ./2021-22 दिनांक :

18 / 01 / 2022

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में दिनांक 19 अक्टूबर 2021 से माननीय आयोग में पूर्ण पीठ गठित न होने के कारण अपीलों/शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो पाया है। वर्तमान में माननीय आयोग में मा.मुख्य सूचना आयुक्त एवं मा. राज्य सूचना आयुक्त महोदय के नियुक्त होने के क्रम में दिनांक 17/01/2022 से दिनांक 21/01/2022 तक के आयोग में अपीलों/शिकायतों की सुनवाई हेतु निम्नवत् तिथि निर्धारित है।

मा० आयोग में योजित द्वितीय अपील/शिकायतों में अपना पक्ष ऑडियो/वीडियो के माध्यम से रखे जाने हेतु कृपया अपना दूरभाष/मा० नम्बर/वॉट्सऐप नम्बर आयोग के फ़ैक्स नंबर-0135-2662180, /ई-मेल आई.डी. [secy-uic@gov.in](mailto:secy-uic@gov.in) /वॉट्सऐप नंबर 9045379903 अथवा डाक द्वारा उपलब्ध/प्रेषित कर सकते हैं। अपीलकर्ता चाहें तो वे अपने लिखित अभिकथन के आधार पर भी द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु सहमति पत्र सुनवाई से पूर्व आयोग को फ़ैक्स/ई-मेल /वॉट्सऐप नंबर अथवा डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। उपरोक्त अपील/शिकायतों की सुनवाई माननीय मुख्य सूचना आयुक्त जी के पीठ में नियत तिथि के अनुसार प्रातः 11:15 बजे से प्रारंभ होगी। आप अपने मोबाइल नम्बर/वॉट्सऐप पर उपलब्ध रह सकते हैं।

क्र. सं.	वाद संख्या	अपीलकर्ता का नाम	प्रतिवादी	पूर्व नियत तिथि	परिवर्तित तिथि
1	अ. 32745	श्री अमित कुमार रतनपुरा, आर.एच. 31, बी.आर.जी. संग्रीला, तलावली चन्दा, इन्दौर, मध्य प्रदेश-453771	लो.सू.अ./सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46 बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून। वि.अ.अ./मुख्य पर्यावरण अधिकारी(मुख्यालय), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46 बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।	21/06/21	24.01.22
2	अ. 32547	श्री स्वतंत्र कुमार तोमर, 346 ए, मोहित नगर, गली नम्बर-13, देहरादून।	लो.सू.अ./अनु सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। वि.अ.अ./संयुक्त सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।	25/10/21	25.01.22
3	शि. 14303	श्री सुनिल बजाज, आर.के. ट्रैवल्स, 109 हरिद्वार मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून।	लो.सू.अ./अनुभाग अधिकारी, आवास अनुभा-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	26/10/21	27.01.22
4	शि.14127 शि.13735	श्री अरूण कुमार, 27 अशोका एन्कलेव, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून।	लो.सू.अ./1. उप सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। 2. टी.एच.डी.सी., आईएचईटी,	16/11/21	28.01.22

2022

			नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल।		
--	--	--	---------------------------------	--	--

(हीरा रावत )  
अनु सचिव,

प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव, मा. मुख्य सूचना आयुक्त को, मा. मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग,को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव को आयोग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
4. निजी स्टॉफ, मा. मुख्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि सम्बन्धित वादी प्रतिवादियों को उपलब्ध दूरभाष नम्बर/ई-मेल के माध्यम से अगली सुनवाई की तिथि से अवगत कराना सुनिश्चित करें। दूरभाष नम्बर ई-मेल उपलब्ध न होने की स्थिति में डाक के माध्यम से उक्त पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।

  
(हीरा रावत )  
अनु सचिव,